

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 1979/कार्तिका 9, 1901
No. 342] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० सं० 606 (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के
अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 207-सी०शु० (सा०का०नि०
सं० 586 (प्र०)) तारीख 25 अक्टूबर, 1979 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं० 202-सी
शु० (सा०का०नि० सं० 561 (प्र०)) तारीख 1 अक्टूबर, 1979 में, निम्नलिखित धोर
संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में कम से 14 और सबसे

सम्बन्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

(1)	(2)	(3)
14	पाँच स्टर्लिंग	5.7705
	[सं० 209-सी०शु०/का० सं० 503/6/79-सी०शु०-6]	
	ए० बोर्डिया, सचिव	

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 606 (E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following Further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 202-Cus. (G.S.R.No. 561 (E)) dated 1st October, 1979 as amended by notification No. 207-Cus. (G.S.R.No. 586 (E)), dated 25th October, 1979, namely :—

In the Schedule below the said notification—For Serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
14	Pound Sterling	5.7705

[No. 209-Cus. /F.No. 503/6/79-Cus.]

A. BORDIA, Under Secy.